उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी-09 /वसूली /2020–21 दिनांकः 26-05-2020

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

गत वर्षो की भॉति इस वर्ष भी विशेष वसूली अभियान अप्रैल से जून 20 के मध्य चलाये जाने के क्रम में पूर्व वर्षो की भॉति इस वर्ष भी विशेष वसूली अभियान हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने थे, परन्तु **कोरोना (Covid-19)वैश्विक महामारी के दृष्टिगत दि0 25.03.2020 से सम्पूर्ण भारत देश में लॉक डाऊन किया गया है, जिसका प्रभाव बैक की वसूली पर भी पड़ा है। अतः सहकारी वसूली वर्ष 2019–20 की अवशेष अवधि में वसूली के समुचित प्रयास किया जाना अति आवश्यक है।**

विगत माहों से वसूली अपेक्षानुरूप नहीं होने के कारण बैंक प्रदेश के कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने में कठिनाईयों का सामना कर रहा है। इस वैश्विक महामारी में प्रदेश के किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जाना है जिससे कृषकों को रोजगारपरक ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आय को बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

दि0 15.05.2020 तक मुख्यालय स्तर पर वसूली की समीक्षा किए जाने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि कुल मॉग **रू0 2310.03 करोड़** के सापेक्ष समायोजन सहित **रू0 630.73 करोड़** की वसूली हुयी है जो कि कुल मागं के सापेक्ष प्रतिशत मात्र **27.30** प्रतिशत ही है एवं प्रदेश स्तर पर 65 शाखाओं की वसूली विगत दिनों से शून्य रही है।

इस सम्बन्ध में यद्यपि मुख्यालय के परिपत्र संख्या सी–37/वसूली/कार्यक्रम /2019–20 दिनांक 19.08.19 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके है, परन्तु **कोरोना (Covid-19)वैश्विक महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के कृषकों के समक्ष उत्पन्न परिस्थितियों में उन्हे घर पर ही बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराये जाने** व बैंक की वित्तीय स्थितियों के दृष्टिगत उच्च स्तरों द्वारा लगातार वसूली हेतु दिये जा रहे निर्देशों के क्रम में **विशेष वसूली अभियान को दिनॉक 31.07.2020 तक चलाये जाने के सम्बन्ध** में आपको पुनः निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–

1. सर्वप्रथम कोरोना (Covid-19)वैश्विक महामारी के सम्बन्ध में निर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रदेश के किसानों को भी इस विषाणु के संक्रमण के बचाव से जागरूक किया जाय।
2. बैंक की प्रत्येक शाखा प्रातः 8:00 बजे अनिवार्य रूप से खोली जाए और शाखा के कार्मिकों की उपस्थिति प्रतिदिन प्रातः 8:10 बजे तक अपने क्षेत्रीय प्रबन्धकों को प्रेषित कर दी जाए। तद्पश्चात गठित वसूली टीमों द्वारा प्रातः 8:25 तक वसूली के समुचित प्रयास प्रारम्भ कर दिये जाय।
3. **विशेष वसूली अभियान के दृष्टिगत दिनांक 30.06.20 तक शाखा प्रबन्धक सहित किसी भी कार्मिक को अवकाश देय नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में शाखा प्रबन्धक का आकस्मिक अवकाश क्षेत्रीय प्रबन्धक की संस्तुति पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा तथा शाखा पर कार्यरत अन्य समस्त कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक की संस्तुति पर क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।**

4. शाखा के कार्मिकों के मध्य आप द्वारा वसूली लक्ष्यों का आवंटन कर दिया गया होगा। इस सम्बन्ध में पुनः यह निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र/बकायेदारों से वसूली हेतु पर्याप्त सम्पर्क किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि सभी बकायेदारों से कार्मिकों का सम्पर्क निरन्तर बना रहे।

5. चालू मांग की वसूली पर विशेष बल दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चालू मांग की शत–प्रतिशत वसूली दिनांक 30 जून 2020, तक अवश्य कर ली जाए।

6. चालू मांग से सम्बन्धित कृषकों को यह भी अवगत कराया जाए कि यदि उनके द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि जमा करा दी जायेगी **तो उन्हें बैंक द्वारा नियमानुसार ब्याज में छूट दी जायेगी।**

7. जिन शाखाओं में चालू मॉग की किश्त दिनॉक **30.06.20** को बकाया पड़ेगी उस शाखा प्रबन्धक एवं अन्य कर्मिकों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा और तद्नुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

8. ऐसे बकायेदार जिनके द्वारा बैंक के पक्ष में **बंधक की गई भूमि** बिना ऋण अदा किए किसी अन्य के पक्ष में बिक्री कर दी गई है, उनके क्रेता एवं विक्रेता को विधिक नोटिस तामीला करा दिया जाए और धनराशि जमा करने के लिए प्रयास किया जाए। उक्त बकायेदारों पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्र0का0 के परिपत्र सं0 सी–62/वसूली/भूमि विक्रय/2017–18 दि0 03.11.2017 द्वारा निर्गत परिपत्रानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाय।

9. कतिपय बकायेदारों द्वारा अपने ऋण अदायगी के सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य सक्षम न्यायालयों में वाद/रिट दायर** प्रकरणों में मा0 न्यायालय में पारित आदेशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय द्वारा वसूली पर कोई रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है तभी वसूली प्रक्रिया रोकी जाय।

वसूली हेतु अन्य सामान्य निर्देशः–

1. **प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों में निरन्तर किये जा रहे कार्यो के क्रम में कृषकों को राहत पहुॅचाने के उद्देश्य से ओ0टी0एस0 योजना दि0 31.07.2020 तक के लिये विस्तार किया गया है। जिसके लाभ के सम्बन्ध में बकायेदारों को विधिवत् अवगत करायें एवं उन्हें अधिकाधिक योजना से लाभान्वित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।**

2. शाखा स्तर पर गठित वसूली टीमों के समस्त कार्मिक अपने आवंटित क्षेत्र में वसूली के प्रति किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा (सम्पर्क रजिस्टर) अपने पास बनाकर रखेंगे, उक्त सम्पर्क रजिस्टरों का अवलोकन प्र0का0 के उच्चाधिकारियों/क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा किया जायेगा।

3. वसूली टीमें यह भी सुनिश्चित करें कि ऋणी सदस्य/बकायेदार से किस तिथि को सम्पर्क किया गया, का विवरण तिथि सहित बनाकर रखा जाय। पिछली बार उक्त कृषक ने किस तिथि को धनराशि जमा करने का वादा किया था उक्त तिथि को अवश्य सम्पर्क किया जाय।

4. वसूली अभियान के दौरान शाखा के सभी कार्मिक टीम भावना के साथ काम करेंगे जिससे बैंक की धनराशि की अधिकाधिक वसूली हो सके और उनके मनोबल पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

5. वसूली हेतु यह प्रयास किया जाए कि क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण के तहत बैंकिग सुविधायें उपलब्ध कराने का कार्य किया जाय। यदि फिर भी किसी प्रकार का विवाद वसूली के दौरान उत्पन्न होता है तो विधिक रूप से उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। प्रत्येक शाखा पर सायंकाल शाखा प्रबन्धक अपने सभी कार्मिकों के साथ अगले दिन के वसूली कार्य योजना पर विशेष रूप से विचार कर लें और निर्धारित की गई योजना के अनुरूप पूर्ण मनोयोग से वसूली कराना सुनिश्चित करें।

6. समस्त जनपदीय/मण्डलीय शाखा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक **प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0 प्र0 शासन एवं आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय** के स्तर से निर्गत निर्देशों के क्रम में सम्यक् प्रयास करते हुये वसूली में उत्तरोत्तर प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ए0के0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1—समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, को इस निर्देश के साथ कि शाखाओं पर नियमित अनुश्रवण कर उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
2—समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
3—समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
4—महाप्रबन्धक(प्रशासन) प्र0का0,लखनऊ।
5—प्रबन्धक(कम्प्यूटर)को प्रदेश की समस्त शाखाओ तथा क्रमांक 1,2,3 पर अंकित अधिकारियों को ई0मेल कराने हेतु।
6—आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
7—प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(अरूणाक्षी मिश्रा)
महाप्रबन्धक(वसूली)